BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 100 OF 2024

IN THE MATTER OF:

16TH AVENUE GAUR CITY 2 APARTMENT OWNERS ASSOCIATION **.... APPLICANT**

VERSUS

GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY . &ORS. **.... RESPONDENTS**

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Additional Affidavit on behalf of U.P. Pollution Control Board.	1-4
2.	**ANNEXURE-R3/1** True copy of the show cause notice	5-6
3	**Annexure-R3/2.** True copy of the letter dated 18.11.2024	7-8

NEW DELHI

DATED: 20.11.2024

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 100 OF 2024

IN THE MATTER OF:
16th Avenue Gaur City 2 Apartment Owners Association ....Applicant

VERSUS

Greater Noida Industrial Development Authority & Ors. ....Respondent(s)

ADDITIONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-3, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, D.K. Gupta S/o Shri B.P. Gupta, aged about 56 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Greater Noida, at present at New Delhi do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is the Regional Officer of the Respondent No.-3, UPPCB in the present case and as such being well conversant with the facts and circumstances of the present case, competent to swear this affidavit.

NOTARY PUBLIC K. BANDANA Delhi Regn. No. 10718 Date of Expiry 26.02.2025 Govt of India

2. That the present matter is about the failure to run the Sewage Treatment Plant and discharge of sewage of group housing, 16th Avenue Gaur City, Greater Noida in an open drain.

3. That vide its order dated 22.01.2024 this Hon'ble Tribunal had constituted a committee comprising of the representative of the Member Secretary, CPCB and the Member Secretary, UPPCB with a direction to carry out the joint inspection and ascertain the factual position on the spot and take remedial action and submit the action taken report.

4. That in compliance of the aforesaid directions the Joint Committee has inspected the site in question and filed the action taken report on 19.03.2024 which was uploaded on the website of this Hon'ble Tribunal on 21.03.2024 for kind consideration.

5. That after considering the action taken report of the joint committee this Hon'ble Tribuanl vide its order dated 23.03.2024 has issued following directions:

NOTARY PUBLIC
K. BANDANA
Delhi
Regn. No. 19718
Date of Expiry
26.02.2025
Govt of India

> ……3. *Learned Counsel appearing for respondent no. 4, Project Proponent seeks two week's time to file objection to the report as also response to the OA. It will be open to all other respondents to file their response within four weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF*……

6. That further this Hon'ble Tribunal has adjourned the present matter on 05.07.2024 and 09.08.2024 thereby giving an opportunity to the Respondent No. 4 to file its objection to the report.

7. That it is submitted that the project has 13 towers having 2080 flats.

8. That the project has installed STP having capacity of 310 KLD, which is under capacity against total sewage generation of approx 850 KLD.

9. That regarding to the present matter and continuous violation caused, the UPPCB vide its letter dated 18.09.2024 has issued a show cause notice regarding the imposition of Environmental Compensation against the project proponent (16th Avenue apartment, Gaur City-2, Greater Noida) for discharging the untreated sewage outside the project without proper treatment. A copy of the show cause notice is being attached herewith as **Annexure No. - R3/1**.

NOTARY PUBLIC K. BANDANA Delhi Regn. No. 10718 Date of Expiry 26.02.2026 Govt of India

10. That in pursuance to the letter dated 18.09.2024 issued by the UPPCB, contained as annexure no.-R3/1, the project proponent (16th Avenue apartment, Gaur City-2) has not submitted any reply till date.

11. That further the UPPCB vide its letter dated 18.11.2024 has imposed an Environmental Compensation amounting Rs. 68,62,500/- (Rs. Sixty Eight Lakh Sixty Two Thousand Five Hundred only) against the project proponent (16th Avenue apartment, Gaur City-2,. A copy of the letter dated 18.11.2024 is being attached herewith as **Annexure No. R3/2**.

12. That the Annexure enclosed to the present accompanying Affidavit are true copy of their respective originals.

12. That the present affidavit on behalf of the Respondent No.-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and consideration.

IDENTIFIED

19.11.24

DEPONENT

NOTARY PUBLIC
K. BANDANA
Delhi
Regn. No. 19718
Date of Expiry
26.02.2025
Govt of India

VERIFICATION:

Verified at New Delhi on this the 19th day of November, 2024 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

4 19/11/2024

19.11.24

DEPONENT

ATTESTED
NOTARY PUBLIC DELHI
Govt. of India
Mob.: 9654768498

186 30415

Annexure R3/1

S(-11)

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी–12वी, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक 417416 /सी–1/एनजीटी–227/का0ब0नो0/2024

पंजीकृत

दिनॉक–18-9-24

मैसर्स 16th एवेन्यू गौर सिटी–2, (प्रमोटर–मैसर्स गौरसंस प्रमोटर प्रा0लि0),
प्लाट नम्बर–जी0एच0–3, सेक्टर–16सी,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
मो0न0–9999768496

मैसर्स 16th एवेन्यू गौर सिटी–2, (प्रमोटर–मैसर्स गौरसंस प्रमोटर प्रा0लि0), प्लाट नम्बर–जी0एच0–3, सेक्टर–16सी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत ग्रुप हाउसिंग परियोजना है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि परियोजना का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनॉक–09.07.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार परियोजना में कुल 13 टावर (फ्लैट–2080 नग) निर्मित हैं। परियोजना में जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 310 के0एल0डी0 क्षमता का 01 एस0टी0पी0 स्थापित पाया गया किन्तु निरीक्षण के दौरान एस0टी0पी0 संचालित नही पाया गया, उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एस0टी0पी0 का संचालन विगत एक वर्ष से नही किया जा रहा है। घरेलू सीवेज को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा निर्मित सीवर लाईन के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय परियोजना से निस्तारित हो रहे अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का एक नमूना एकत्र कर विश्लेषित कराया गया नमूने में जल प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा बोर्ड मानकों से अधिक पायी गयी। परियोजना का संचालन न होने विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या–100/2024 16th एवेन्यू गौर सिटी–2, अपार्टमेन्ट आनर्स एसोसियेशन बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पारित ओदशों के अन्तर्गत आच्छादित है। परियोजना का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना किया जा रहा है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा परियोजना के विरूद्ध दिनॉक–30.03.2024 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया जिसका प्रतिउत्तर अप्राप्त है। उक्त परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा परियोजना के विरूद्ध रूपया–28,125/– प्रतिदिन की दर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में क्यों न परियोजना के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये।

AFM
Recived
8076547906
AFM
07/10/24

AEE(R&V)
for n.a./M.
01.10.24

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष: 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
ई–मेल : info@uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
E-mail : info@uppcb.com

उपरोक्त के अतिरिक्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन आपकी इकाई मैसर्स 16th एवेन्यू गौर सिटी–2, (प्रमोटर–मैसर्स गौरसंस प्रमोटर प्रा0लि0), प्लाट नम्बर–जी0एच0–3, सेक्टर–16सी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरूद्ध सक्षम अधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता हैं :–

1- यह कि क्यों न मैसर्स 16th एवेन्यू गौर सिटी–2, (प्रमोटर–मैसर्स गौरसंस प्रमोटर प्रा0लि0), प्लाट नम्बर–जी0एच0–3, सेक्टर–16सी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु प्रचलित गाइड लाइन के आधार पर अनुपालन की तिथि तक EC=PIxNxRxSxLF=75x1x250x1.5x1.0=28,125 रूपया–28,125/– (रूपया अठ्ठाइस हजार एक सौ पच्चीस मात्र) प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

2- यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाये कि वे मैसर्स 16th एवेन्यू गौर सिटी–2, (प्रमोटर–मैसर्स गौरसंस प्रमोटर प्रा0लि0), प्लाट नम्बर–जी0एच0–3, सेक्टर–16सी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये?

उपरोक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशो की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

संलग्नक : निरीक्षण आख्या की छायाप्रति।

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

6

Annexure-R3/2

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टीसी–12वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रॉक H19783 /सी–1/एनजीटी–227/बन्दी आदेश–जल/2024 पंजीकृत दिनॉक– 18/11/24

मैसर्स 16th एवेन्यू गौर सिटी–2, (प्रमोटर–मैसर्स गौरसंस प्रमोटर प्रा0लि0),
प्लाट नम्बर–जी0एच0–3, सेक्टर–16सी,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर
मो0न0–9999768496

मैसर्स 16th एवेन्यू गौर सिटी–2, (प्रमोटर–मैसर्स गौरसंस प्रमोटर प्रा0लि0), प्लाट नम्बर–जी0एच0–3, सेक्टर–16सी ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर जो कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत ग्रुप हाउसिंग परियोजना है, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि परियोजना के विरूद्ध जारी बोर्ड मुख्यालय के कारण बताओ नोटिस पत्रांक–एच174162/सी–1/एनजीटी–227/का0ब0नो0/2024 दिनांक–18.09.2024 की प्रति दिनांक–07.10.2024 को उपस्थित प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी। उक्त के अनुक्रम मे परियोजना का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनॉक–12.11.2024 को किया गया। परियोजना में स्थापित एस0टी0पी0 का संचालन न होने विषयक मा0 एनजीटी, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–100/2024 16th एवेन्यू गौर सिटी–2 अपार्टमेन्ट आनर्स एसोसिएशन बनाम ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पारित आदेशों के अर्न्तगत आच्छादित है। निरीक्षण के दौरान परियोजना से जनित घरेलू सीवेज हेतु स्थापित कलेक्शन टैंक में बाईपास लाईन स्थापित है एवं अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का आंशिक भाग एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण किया जा रहा है तथा शेष घरेलू सीवेज को बाईपास लाईन के माध्यम से सीधे नाले में निस्तारित किया जा रहा है। निरीक्षण के समय परियोजना में स्थापित एस0टी0पी0 संचालित पाया गया परन्तु एस0टी0पी0 का रख–रखाव एवं संचालन उचित प्रकार से किया जाता नही पाया गया। उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 310 के0एल0डी0 क्षमता का 01 एस0टी0पी0 स्थापित पाया गया किन्तु निरीक्षण के दौरान एस0टी0पी0 संचालित नही पाया गया। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा अधिक होने के कारण स्थापित 310 के0एल0डी0 क्षमता का 01 एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकरण हो पाना संभव नही है, जिससे शेष अशुद्धिकृत नाले के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। परियोजना का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किये बिना किया जा रहा है। उक्त परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा परियोजना के विरूद्ध रूपया–68,62,500/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–33ए के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस पत्रांक–एच174162/सी–1/ एनजीटी–227/का0ब0नो0/2024 दिनांक–18.09.2024 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

18/11/24
Govind Sh
AFM
8076547906

16th Avenue Gaur City-2 (AOA) Maint...

...2

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या एवम् संस्तुति दिनांक–12.11.2024 तथा मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में मैसर्स 16th एवेन्यू गौर सिटी–2, (प्रमोटर–मैसर्स गौरसंस प्रमोटर प्रा०लि०), प्लाट नम्बर–जी०एच०–3, सेक्टर–16सी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरूद्ध संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण दिनॉक–14.03.2024 से नवीनतम निरीक्षण दिनाक–12.11.2024 तक कुल 244 दिन हेतु Environmental Compensation=244x28,125/-=Rs.68,62,500/- (रूपया अड़सठ लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जिसका भुगतान Payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/ DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में 15 दिन के अन्दर करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :–

1- Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति	Water Pollution
2- Regional Offices/ क्षेत्रीय कार्यालय	Greater Noida
3- EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया	UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलम्बतम् 15 कार्यदिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा उक्त का साक्ष्य उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी,उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुवर्ती कार्यवाही करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

ORIGINAL APPLICATION NO. 100 OF 2024; 16th AVENUE GAUR CITY 2 APARTMENT OWNERS ASSOCIATION VS GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY & ORS.

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: delhioffice@redlaw.in; artakkar@gmail.com; artakkar@artlo.in

Date: Wednesday, November 20, 2024 at 11:58 AM GMT+5:30

Sir,

Please find attached the Document

With Regards,

(PRADEEP MISRA)

16th Avenue Affidavit.pdf
3MB